न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

1. सियावती पत्नी राखन पटेल पुत्री स्व. दीना पटेल, आयु–63 वर्ष, निवासी ग्राम बस्ती अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. रामसहोदर पुत्र स्व. दीना पटेल, आयु– 56 वर्ष,
3. बैजनाथ पटेल पुत्र स्व. रामसेवक पटेल, आयु– 42 वर्ष
4. पारस लाल पुत्र स्व. झप्पा, आयु– 36 वर्ष,
5. गीराबाई पुत्री स्व. झप्पा पटेल, आयु– 46 वर्ष,
6. ललिया बाई पुत्र स्व. झप्पा पटेल, आयु– 41 वर्ष,
7. सबिता बाई पुत्री स्व. झप्पा पटेल, आयु– 34 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम पोंड़ी खुर्द, तहसील व जिला अनूपपुर(म.प्र.)
8. भागीरथी बाई पत्नी समयलाल पटेल, आयु– 35 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)------**आवेदकगण**

विरूद्ध

1. रामस्वरूप पटेल पुत्र स्व. दीना पटेल, आयु – 51 वर्ष, निवासी ग्राम पोंड़ी, खुर्द तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)---**असल अनावेदक**
2. केशव प्रसाद पटेल पुत्र स्व. रामसेवल पटेल, आयु– 40 वर्ष,
3. राम अवतार पटेल पुत्र स्व. दीना पटेल, आयु – 60 वर्ष, दोनो निवासीगण पोंड़ी खुर्द, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. नानबाई पत्नी रामचरण पटेल, आयु– 33 वर्ष, निवासी ग्राम सकोला तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. चम्पा बाई पत्नी जगदीश पटेल, आयु– 31 वर्ष, निवासी ग्राम परसवार, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---**तरतिवी अनावेदकगण**

न्यायलय अपर आयुक्त, शहडोल **संभाग**, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2016 के विरूद्ध **म.प्र. भूराजस्व संहिता**, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

निगरानी 1390–दो/2016

सियावती विरूद्ध रामस्वरूप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05 –09–18	प्रकरण में दिनांक 08.08.2018 को आवेदिका सियावती व अन्य के अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा व अनावेदक क्र. 1 रामस्वरूप पटेल के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी को सुना गया । अनावेदक क्र. 2 से 5 तरतीवी पक्षकार है। प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त शहडोल के द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 के विरूद्ध की गई है। 2/ उभयपक्षों के द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये है। 3/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्रीमती सियावती व अन्य के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के न्यायालय में ग्राम पिपरिया के विभिन्न सर्वे क्रमांकों का नामांतरण आवेदकों के पक्ष में व्यवहार वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर किये जाने का अनुरोध दिनांक 06.10.2012 को किया गया था। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 15.04.2013. को आवेदकगणों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । आदेश दिनांक 15.04.13 को गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। आदेश की अन्तिम पंक्तियां निम्नानुसार है :– " उभयपक्ष सूचित हो। प्रवाचक, पटवारी, डाटा ऑपरेटर टीप करें। सिविल आदेश, आदेश का स्थायी अंग होगा । वाद इन्तलावी प्रकरण खारिज होकर का0 दफ्तर हो।"	

तहसीलदार अनूपपुर की नस्ती में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे कि ज्ञात हो सके कि उक्त आदेश की सूचना गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप पटेल को कब दी थी?

4/ गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के आदेश दिनांक 15.04.2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के यहाँ प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधित होने से आदेश दिनांक 25.05.2015 से खारिज किया है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप पटेल के द्वारा अपर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में द्वितीय अपील मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2015 को प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त के आदेश का पैरा (3) निम्नानुसार है:– " प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण का भी अवलोकन किया । तहसीलदार अनूपपुर ने प्रकरण दिनांक 08.03.2013 को सुनवाई करते हुये आगामी दिनांक 28.03.2013 को आदेश के लिये नियत किया, किन्तु नियत दिनांक 28.03.2013 को अवकाश होने के कारण प्रकरण में सुनवाई में लेते हुये प्रकरण दिनांक 15.04.2013 सुनवाई हेतु नियत किया गया । प्रकरण की आदेश पत्रिका में दो अलग–अलग तारीख अंकित कर सूचित होना पाया गया । एक हस्ताक्षर में दिनांक 15.04.2013 तथा दूसरे में दिनांक 11.06.2013 अंकित है। स्पष्ट है कि दिनांक 15.04.2013 को उभयपक्षों की

2/4

5/9/18

(3)

अनुपस्थिति में प्रकरण में आदेश पारित किया गया था, जिसकी सूचना भी उभयपक्षों के अभिभाषकों को नहीं दी गई थी। स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जानकारी होने पर नकल लेकर अपील प्रस्तुत किया था । अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने गलत निष्कर्ष निकालकर अपीलार्थी की अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। "

5/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन व उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्कों का अध्ययन किया गया । तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा गैर निगरानकर्ता रामस्वरूप की अनुपस्थिति में दिनांक 15.04.2013 को आदेश पारित किया है, जिसकी उसको सूचना नहीं दी है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील का गुण–दोषों पर निकराकरण न करते हुये अवधि विधान की धारा 05 का आवेदन निरस्त करते हुये अपील समयावधित होने से खारिज की है। अपर आयुक्त शहडोल के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 से गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप की अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को गुण–दोष के आधार पर विधि अनूकूल आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

6/ प्रकरण में एक तथ्य यह भी है कि गैर निगरानीकर्ता रामस्वरूप पटेल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के स्वत्व के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जिला जज अनूपपुर के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 443/2014 प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 29.09.2014 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित

किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश की जानकारी किसी ने प्रस्तुत नहीं की है।

7/ राजस्व निर्णय 2000 रा.नि. इन्दुबाल्या(श्रीमती) विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य में यह अभिर्निधारित किया है कि " आवेदक को अन्तिम आदेश के पारण की कभी जानकारी ही नहीं दी गई और न आदेश पारण से पूर्व उसकी सुनवाई हुई तब आवेदक विलम्ब की माफी का हकदार होगा ।"

8/ इस न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त के द्वारा भू.रा. संहिता 1959 की धारा (44) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर अपर आयुक्त शहडोल के द्वारा प्रत्यावर्तित (Remand) आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

9/ अपर आयुक्त शहडोल का प्रत्यावर्तित (Remand) आदेश दिनांक 11.03.2016 इस संशोधन के साथ स्थायी (Confirm) किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी उभयपक्षों को गुण–दोषों पर सुनने के पूर्व माननीय उच्च न्यायायल में प्रचलित द्वितीय अपील क्रमांक 443/2014 में पारित अद्यतन आदेशों की प्रतियों का अध्ययन करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही करेंगे।

(आर.के. जैन) 5/9/18
सदस्य